

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

साधिव,
उत्तराखण्ड शासन,
विलत अनुभाग-9,
देहरादून।

संख्या-3378/पंच-1 /2015-16 दिनांक: 16 जून, 2016

विषय- उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में प्रवृत्त सर्किल दरों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-161/2016/XXVII (9)/स्टाम्प-80/2006 दिनांक 10 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपदों में वर्तमान में प्रवृत्त सर्किल दरों को दिनांक 16.06.2016 से संशोधित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद चम्पावत हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेटों) की एक प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। जनपद में नई सर्किल दरें दिनांक 16.06.2016 से प्रभावी हो चुकी हैं। सर्किल रेटों की एक प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उक्तानुसार

भवदीय,

(डा० अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।

प्रतिलिपि:- महानिरीक्षक, निवन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(डा० अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।

तहसील लोहाघाट जनपद बम्हावा के प्रमुख मार्ग पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राज्य मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राज्य मार्ग का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर - (Base Rate)														
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)				नए प्रमुख मार्ग पर स्थित अखंड भूमि व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)				जिला व आवासीय भवन से स्थित आवासीय एरिया		वाणिज्यिक भवन की दर (प्र. पर एरिया प्रति वर्ग मी० रु० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0.50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	प्रति वर्गमी० रु० में	दुकान रेस्टोरेंट वर्गमी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रधान श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (एकका / कच्चा)				
1-	क	समस्त भूमि नगर पंचायत / ग्राम लोहाघाट	नगर्रीय	16820000	13460000	10760000	2102	1682	1346	9000	31500	26250	9000	5000				

(रह. एरि.)

अपर जिलाधिकारी
जनपद बम्हावा

जिलाधिकारी
बम्हावा

राहसील लोहाघाट जनपद बम्मावल के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / गांवों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	क्षेत्र	सामान्य दर—(Base Rate)																	
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)						प्रमुख मार्ग पर स्थित अकूट भूमि व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)						आवासीय भवन			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० रु० में)		
			0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0.50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	परिशेष प्रति वर्गमी० रु० में	जिला व आवासीय भवन पर स्थित	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० रु० में)	दुकान रेस्टोरेट वर्गमी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकरा)	द्वितीय श्रेणी (एकरा / कच्चा)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1-	क	पाटन पाटनी, साइकोट महर, कलीगांव, कोलीदेक, फर्नहिल	अर्धनगरीय	11200000	8960000	7160000	1400	1120	896	8400	26250	21000	8400	4725						
1-	ख	गोसन्नी (खेतीखान), चौडीभाट, साइकोट कुंवर, खूनाबोरा, खूनामलक	अर्धनगरीय	4820000	3850000	3080000	603	482	385	8400	21000	15750	8400	4725						

(रहा-लहा) प्रशासक/रा.र.

उपनिर्वाहक -रहाबाने

उपर जिलाधिकारी -रहाबाने

जिलाधिकारी बम्मावल

हरील लोहाघाट जलपद चक्रावत के प्रमुख एवं नये मार्गों व अन्य स्थानों पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र०सं	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / खालख ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर—(Base Rate)											
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)				प्रमुख मार्ग पर स्थित अरु० भूमि यावसाधिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)				विकास व आवासीय भवन से स्थित आवासीय भवन की दर (रु० में)			
			0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0.50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	परिचा प्रति वर्गमी० रु० में	विकास व आवासीय भवन से स्थित आवासीय भवन की दर (रु० में)	विकास व आवासीय भवन से स्थित आवासीय भवन की दर (रु० में)	अन्य वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)	प्रथम श्रेणी (एकक) की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)	द्वितीय श्रेणी (एकक) की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	क	एकटमाउट, मायावती, पक, चौडाढेक, बन्देलाढेक, पीन्नेढेक, मल्लाढेक, फाली, मोयूराल, बनगाव, विडियादुगा ।	ग्रामीण	3670000	2940000	2350000	460	367	294	8400	21000	15750	8400	4725
2-	ख	पुल्ला, मडलक, किमाली, मुमलाई, कैसली, इडाकोट, सीतलीनारा, कलवाडा, बुगाकरवाल, बुगाशेकरवाल, धुवाभागा, बुडकोडा, मानसल्ला, मानसल्ला, दोसाल, विपडाविवासी, खानाद, खैराकाण्ड ।	ग्रामीण	2160000	1730000	1380000	360	216	173	4725	13125	12600	4725	2520
3-	ग	कोयाटीखालसा, मझडा, बलाई, मंगोली, बडोली, सिरतोली (मंगोली), बटौली, ठाटा, सुदका, नाकोट, छतोली, ल्पुनपर, झलानदेव, खुतेली, सिरमोली, परधानीखेरा, जनाकाण्डे, सिरतोली (जनाकाण्डे), मरोली, कानाकोट, पुमाली, परधानी, ल्पारसी, बाहुलावाला, बाजगन्धारी, डुमडाई धीन, सील, काकडी, गुरेली (दुदपोखरा), बगौटी, बरगुनी, विविल, विन्हीमुसली, मडनमार, बसान, खोली, रुदमाली, पोखरीखोरा, डुगराबारा, मडुवा, मटियानी, बिल्ल, खूर, खोरासी, धीक, पोखरीसीन, कोटला, डुगरालेटी, बाण्ड ।	ग्रामीण	730000	580000	470000	92	73	58	4725	12600	12075	4725	2520

(हस्ताक्षर) 
 जिलाधिकारी
 जिला कार्यालय
 जयपुर

जनपद चम्पावत अन्तर्गत तहसील चम्पावत के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित भूमि की दरें।

(नगरीय क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख भागों / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख भाग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख भागों पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)			प्रमुख भागों पर स्थित अकृषिक भूमि की व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर रु० में)			आवासीय व निजी आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट पर एरिया प्रतिवर्ग मीटर रु० में		वाणिज्यिक भवन की दर पर एरिया प्रतिवर्ग मीटर रु० में		गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रतिवर्ग मीटर रु० में	
				0-50 मीटर तक	51 से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	दुकान रेस्टो रेन्ट कार्यालय या	अन्य वाणिज्यिक एक प्रतिवर्ग मीटर रु० में	प्रथम श्रेणी (एक्क 1)	द्वितीय श्रेणी पक्का कच्चा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	क	चम्पावत, सेलाखोला, मल्ली मांदली, तल्ली मांदली, ल्यारकुणा, मांजगांव, कनलगांव, जूणपटवा	नगर पालिका	20970000	16776000	13420800	2621	2097	1678	9450	31500	26250	9450	5250	
2	ख	डुंगरासेठी, पुनेठी, कुलेठी खर्ककाकी शक्तिपुर चौकी	नगर पालिका	14280000	11430000	9144000	1785	1428	1143	9450	31500	26250	9450	5250	

अर्द्धनगरीय ग्राम

क्र० सं०	क	ख	14280000	11430000	9144000	1785	1428	1143	9450	31500	26250	9450	5250
3	क	डडगिरेट, मुडियानी, बाजरीकोट, चौडासेठी, राकडीफूलासा, नादबोरा, दुदपोखरा फूंगार	14280000	11430000	9144000	1785	1428	1143	9450	31500	26250	9450	5250
4	ख	डडगिरेट, मुडियानी, बाजरीकोट, चौडासेठी, राकडीफूलासा, नादबोरा, दुदपोखरा फूंगार	8700000	6960000	5560000	1087	870	696	8400	26250	21000	8400	4725

(स्व. लक्ष्मी) 
दुदगिरेट, मुडियानी, बाजरीकोट, चौडासेठी, राकडीफूलासा, नादबोरा, दुदपोखरा फूंगार


उपनिबंधक, चम्पावत।


उप निबंधक, चम्पावत।

जिलाधिकारी, चम्पावत।

ग्रामीण क्षेत्र

क्र.	ग्राम, ककलीग, बरदोली, जायड, शिलिंगटाक, पतेल, नथान डुन्डी, छीडापानी, वैकुनीबाबा वैकुनीबाबा, कभैला, काण्डा, लिस्ता, नगरगाँव, पत्तो.	6840000	5470000	4370000	855	684	547	8400	23100	21000	8400	4725
ख	मौनपोखरी, कठनौली, धोन, मौराडी पैलीमाफी, चुराखर्क, सुयालखर्क, सिप्टी, पुनाब, कोयाटी, सैन्दर्क चौडाडुमखुरी, लमकनिया, पत्थरमैन, दुधारी, हियूला, निनौडी, सिमियाजरी, कारी, बिरगोला, तामली, नाग, बचकोट, पोलेप, हरम, ल्याक्री, मच, दुबडजैनल.	3600000	2880000	2300000	450	360	288	6300	21000	15750	6300	3150
ग	भगीनामण्डारी, खर्क, चौधरीज्यूला, सनियाफलिया, लगगा खलकडिया, सनियानीलकडिया, सनियाफलिया लगगा खुनाडी, खर्कबगड, खुनाडी, बिलौटसीन, डिगडई, खलकडिया, खेतारखेडा, नायल, रतनकडिया, गडकोट, पातल, कालूखान, गूठगडसाडी, बडपास, मैसली बसान, लखौनटुकडा, बुगाख्याली, रेडी, दुबयौडा, नरसिंहडाडा, बिरगुल, गौली, चौडाख्याली, सायली, बसियागूट, ध्यानमण्डारी, नायल, अमौडी, डोला, रसाला, काण्डा, रियूरी, रैसंग, खार, बोयल, गरुखोली, ठूलाकोट, रमैला, सल्टी, नीड, कठडाभाफी, सिमल्टामौफी, बिल्डी, भनौली, कसारसिंग, छतकोट, कौराला, गायल, जोगौवजोली, सलकण्डा, नन्दकुली, रीठा, डुमरा, पडगा, बचलपुर उर्फ याचडी, मझेडा, बडौली	2520000	2000000	1610000	315	252	200	4725	13125	12600	4725	2520

(रय लहा)

उपनिर्वाहक

उपनिर्वाहक

उपनिर्वाहक

(6)

जिलाधिकारी,
बामावल ।

घ	भूलागाँव, रायल, सिमाड, ओखलढुंगा, दुनिया, भिरतोला, नदोला, अमकडिया, लफडा, विवडिंग, नायडी, बरिस्ट्या, भगीनाखेत, जमराडी, पाली, बैडा, देवली, घुरघुम अमौन, बजौन लडाबोरा, बगेडी, खटौलीतल्ली, खटौली मल्ली, पिनाना, पवनई, बैलसा, रियासीबमनगाँव, तरकुली, बरकुल अमोडा, आमनी, हियाली, भण्डार, सौराई, हरतोला, रूईया, कुकडौनी, सतकुला, आमगढ, तल्लाकफल्ता, मल्लीकफल्ता, केन्चूडा, आमखोला, गुरनागुठ, दूनी, पाली, सैकुर्वे, भण्डारबोरा, सौजविष्ट, बसौटमाफी, बुगावैकुनी, मिरीपुनेठी, बकुण्डा, बकोडा, मोरटा, अकेशी, ग्वानी, मटकाण्डा, रयूतोला, खटगिरी, अमोडा	405000	382500	337500	45	42	37	11600	12600	12075	4725	2520
---	---	--------	--------	--------	----	----	----	-------	-------	-------	------	------

(ह.सहा.)


प्रशासक


उप निबंधक
-प्रशासक


अपर जिलाधिकारी
-प्रशासक


जिलाधिकारी
-प्रशासक

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाराकोट

सामान्य दर- (Base Rate)

क्र०सं	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर—(Base Rate)											
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)				न्यू प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्द्ध नगरीय व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)				वाणिज्यिक भवन की दर (घु० पर एरिया प्रति वर्ग रु० में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क	बाराकोट, फरतोला, काकड़, बनोली, खोलासुनार, मल्ला बारू, गुरनासोतीला, गज्जामाव, गुमीद, बौली, सिंगदा, कैलाडी, भारतोली, चूरानी	अर्धनगरीय	4430000	3540000	2840000	555	443	354	6300	21000	15750	6300	3150	
ख	शैवांव, कामाजुला, बकरीयाजुला, पडासीसेरा, सुगरखाल, जुवाकोट, कालाकोट, तल्ला बारू, भनार, बिसराडी, पटलली, बल्ला, चावडी, सुतेडा, प्रानीगुड, मऊ, मौलानी, लीडू, खेती, काकडी, बमरोली, छुल्लार, रावलगांव, ईजका, देवलीमाडी, बुरकोट, सूरी, डटीगांव, बसोडी, बौला, बैडाओड, डाराओड, बमका, डोवामागू, नौमाना, डिरकुनी, टाक, द्यारतोली, छकोडा, हिवाडा, धन्दा, छोडा, बारा, लिहि, आगर, चौडासाह, मैनीमहर, गुरनानयाबाद, वखलल, पुनई, प्रम्दा, देहादेडवाल, लडीगांव, गोठकुडा, लडाग, ल्वाकी, पटनगाव, बुरोला, बरोली लगगा तल्ला बारू, नंदडा, मिरतोली, बनकाडिया, शैवाडी, घुलगांव ।	अर्धनगरीय	1200000	960000	760000	150	120	96	6300	21000	15750	6300	3150	

(सं ४२)

उप निदेशक
बाराकोट तहसील

उप निदेशक
बाराकोट तहसील

उप निदेशक
बाराकोट तहसील

(४)

जिलाधिकारी
बाराकोट

तहसील बाराकोट ग्रामीण क्षेत्र

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (Base Rate)										
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति है० रू० में)			न्यू प्रमुख मार्ग पर स्थित अकू० भूमि व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रू० में)				जिले व आवासीय भवन में स्थित	वाणिज्यिक भवन की दर (सु पर एरिया प्रति वर्ग मी० रू० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमी० रू० में)
				0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0.50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	आवासीय एरिया प्रति वर्गमी० रू०	दुकान रेस्टोरेंट वर्गमी० में	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	क	बेटटा, जमाद, बांज, तल्लीजिन्ही, हुंगाजोशी, पदरुडा, कोठरा, मयू, बगीला, हुंगामल्ला, निगालीगाड, अदखण्डी, मदीनाडा, नैरी, बयोली खोलिया, चमोली, जाखलगा सुतेडा, सीत, सलान, नैर, गायकाजूला, सिमैला, गंगालीपुलई, पुनियाल, बरुडी ।	ग्रामीण	450000	360000	290000	57	45	36	4725	12600	12075	4725	2520

(स्ता.बटा.)


 जिलाधिकारी
 बाराकोट
 उपनिवेशक
 -समाप्त-

जिलाधिकारी
 बाराकोट

तहसील पाटी जनपद चम्पावत के प्रमुख मार्गों में स्थित भूमि की न्यूनतम दरें

अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र /	सामान्य दर—(Base Rate)											
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हे० रु० में)				न्यू प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्द्ध नगरीय व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)				बहुमंजरीय आवासीय भवनों में स्थित	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रतिवर्ग मी० रु० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)
				0 से 50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0 से 50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रस्थान		प्रथम श्रेणी परकम	द्वितीय श्रेणी परकम / कच्चा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1-क		मुख्य सड़क से लगे हुए ग्राम-पाटी, जोलाडी, देवीधुरा	-	7000000	5600000	4480000	875	700	560	8000	22000	20000	8000	4500	
2-ख		मुख्य सड़क से लगे हुए ग्राम-चौडापिता (सिवासाहिब), भारागांव	-	7000000	5600000	4480000	875	700	560	8000	22000	20000	8000	4500	

(स.ल.व.)

उद्गा० चम्पावत P. स.

उप निरीक्षक, चम्पावत,

जिलाधिकारी, चम्पावत।

जिलाधिकारी, चम्पावत।

तहसील पाटी जनपद बम्हावत के प्रमुख मार्गों में स्थित भूमि की न्यूनतम दरें ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजमार्ग एवं का नाम	क्षेत्र /	सामान्य दर-(Base Rate)											
			प्रमुख मार्ग पर स्थित भूमि की न्यूनतम दर (प्रति १०० रु.)			न्यू प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्द्ध व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमीटर १०० रु.)			ग्रामस्थानीय अवासीय भवनों में स्थित आवासीय दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ग १०० रु.)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ग १०० रु.)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ग १०० रु.)		
			0 से 50 मीटर तक	50 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर तक	50 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान / स्टोरेज / कारपोरल	अर्द्ध वाणिज्यिक प्रतिवर्ग	ग्राम क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवन की दर	ग्राम क्षेत्रों में गैर वाणिज्यिक भवन की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य सड़क से लगे हुए ग्राम-कडवालागांव, गरसाडी, दंशैज, भैसरु, कनवाड, वालिक, हाँसीपिपलाटी, टाकबलाडी, खरही, कुलियालागांव	-	4170000	3340000	2670000	522	417	334	6000	20000	15000	6000	3000	
2	सम्पर्क मोटर मार्ग से लगे हुए विविध ग्राम- भिंगराडा, पनियां, बोरावापड, मूलाकोट, मंगललेख, सिमलखेत	-	2280000	1820000	1460000	285	228	182	4500	12500	12000	4500	2400	
3	सम्पर्क मार्ग से लगे मुख्य ग्राम- तिमलागुंठ, मधेलखाना, पीपलडींग, टकनागुरो, बनोली, रावलगांव, कुमैयाकुडा, खैरनीगुंठ, गंवाई, धौन किमसवाड, कारीखाना, मण्टाण्डे, चौडागुंठ, सिलवाडीगुंठ, बनोलीलगाडुंगरा, अनपा, बमनवापड, किमाड, गगराड, गगर, सांगों, हुंगराकोट, कानीकोट, कोटना, इजट्टाडुंगरा, भागलगा, मूलाकोट, चौडासैन, सुनडुंगरा, बालीगांव, पटनगांव, गोलनासेरी, गीजूरसान, बरवाडी, धियालकोट, श्रुवामीनी, चौडाकोट, मौनकाण्डा, धिलियां, डसिया, निरौटी, सकदेना, पम्पतोला, नैनी, किम्वाडी, लडा, सौलमेल, भैरोली, जैरोली, झुडेली, बडेल, गूम, मछियाड, टाणतला, टाणमल्ला, साल, रमक, वारसी, परेवा		1900000	1520000	1210000	237	190	152	4500	12500	12000	4500	2400	

(11)
 जिलाधिकारी,
 बम्हावत।
 उप निरीक्षक,
 बम्हावत।
 (11)

सरकिल रेट ग्रामीण क्षेत्र, तहसील पाटी

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर						
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हे०, ₹० में)	न्यू प्रमुख मार्ग पर स्थित अग्रो भूमि व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० ₹० में)	बहुमंजलीय आवासीय भवनों में स्थित आवासीय दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० ₹० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० ₹० में)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-	घ	सम्पर्क मार्ग से 01 कि०मी० से 03 कि०मी० दूरी तक के ग्राम- तपनीपाल, कोटा, मौन, बुगाविराडा, बसौट, भेल्टा, रुहेली, गहतोडा, पल्हरकोट, पछौटी, जमनटाक, जखोला, कफल्टी, बम्बोला, विरौली, मौलनाजाख, रिखोली, जोगाबसान, पारस, कानीकोट लम्गाबौडा, तोली कठेडी, बुलुखोला	-	715000	77	4500	12000	11500	4500	2400
5-	झ०	सम्पर्क मार्ग से 03 कि०मी० से 05 कि०मी० दूरी तक के ग्राम- सिम्बोली, कजीना, नावलकोट, अमौली, विनाराकोट, सीठा, दन्तौला, झलपुडा, जडियाकमद, छौडागांव, मुम्बाडी, कण, हलदुखर्क, पुनौली, काण्डे, फुलाराकोट, गोलडाण्डा, तोला रेकुडी, सिरना, भौकडा, पोखरी, बलिभया, मडगुडी, गडगुडी, वडैराली, दुबडकमलेख, करौली, बालातडी	-	495000	55	4500	12000	11500	4500	2400

नोट:- उक्त क्रमांक 4घ तथा 5ड में स्थित राजस्व ग्राम सम्पर्क मार्ग से 01 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रमुख सम्पर्क मार्गों से 0 से 01 कि०मी० तक की दूरी की दरें नहीं प्रदर्शित की गयी हैं।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
मुख्याधिकारी, प.त.

(हस्ताक्षर)
उपनिबंधक,
-परमपरी-

(हस्ताक्षर)
अपर जिलाधिकारी,
-परमपरी-

(हस्ताक्षर)
जिलाधिकारी,
दमयादत।

नगरीय क्षेत्र मैदानी

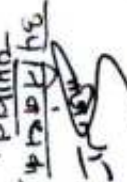
सामान्य दर--(Base Rate)

22
2011/11/27
2011/11/27

तहसील पूणागिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरे
अर्द्धनगरीय मैदानी

क्र. सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों , राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर—(Base Rate)											
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित आवासीय/व्यावसायिक की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रू० में)			आवासीय बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में रू० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रति वर्ग मी० रू० में
				0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	प्रत्येक वर्ग मीटर पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रू० में	दुकार/रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठा न	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)	
1	अ	ज्ञानखेड़ा, नायकखेड़ा, विचई, चन्दनी, पचपकरिया, बमनपुरी	मैदानी	18260000	14600000	11680000	2282	1826	1460	9450	31500	26250	9450	5250	
2	ब	गुदमी, देवीपुरा, फागपुर, सैलानीगोट, आनन्दपुर		16800000	13440000	10750000	2100	1680	1344	9450	31500	26250	9450	5250	

(हस्ताक्षर) 
 उस्ताद फागपुर/17.11.15

 
 उप निबन्धक, उप निबन्धक, उप निबन्धक


 निबन्धक, चम्पावत।

ताहसील पूर्णगिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
ग्रामीण क्षेत्र (मैदानी)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर-(Base Rate)										
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि आवासीय/व्यवसायिक क की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रु० में)			आवासीय बहु मंजलीय भवन में स्थित	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
				0-50 मी० तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 मी० तक	50 मी० से अधि क	200 मी० से अधि क					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अ	गैँडाखाली नं०01 गैँडाखाली नं०03, बरमदेव, उचौलीगोट धवालखेड़ा बस्निया, देवरामपुर, बगदौराहंसी, बगदौराखास गैँडाखाली नं०04, खेतखेड़ा, सुवागोट	ग्रामीण	15680000	12540000	10030000	1960	1568	1254	8400	26250	21000	8400	4725
2	ब	सुवागोट		15680000	12540000	10030000	1960	1568	1254	8400	26250	21000	8400	4725
3	स	छिनीगोट, छिनीमल्ली, छिनीतल्ली, चेलगोट, कलौनिया, कटुवापाती, मैसाझाला		15640000	12510000	10000000	1955	1564	1251	8400	26250	21000	8400	4725

(रख रखा)

उद्देश्य: अ.स.स.स.स.स.

उपनिर्वाहक
-चम्पावत,
प्रम. (जिलाधिकारी)
-चम्पावत,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

तहसील पूर्णगिरि (टनकपुर) जिला वन्मावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
पर्वतीय ग्रामीण

सामान्य दर-(Base Rate)															
क्र 0 सं 0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रू० में)											
				प्रमुख मार्ग पर स्थित अतिरिक्त भूमि आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रू० में)						आवासीय बहुमंजली य भवन में स्थित आवासीय					
				0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-5 0 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	प्लैट पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रू० में	टुकार/रे स्टोरेज/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)	
1	अ	धुरा, चौडाकोट, कौलीकुलाडी	ग्रामीण	3820000	3050000	2450000	478	382	305	4500	13000	11500	4500	2400	
2	ब	गंगसीर,लोड्डा,निगाली, डांडा, भडियास, कलसुनिया, पोथ,पोथ का लगगाडांग, खुर्कलाईजर, कोटकेन्दी, खरागूठ, तालगूठ, पूर्णागिरि, सनमूडागूठ, कम्पून, उदाली, झालाकुडी, नौलापानी, तलियाबाँज, बयाला,बुडम,मथियाबाँज, सुकनी, बकौरिया, डांडालोहारज्यूला, ककनई,खडायत,बुगादुर्गा पीपल		2000000	1600000	1280000	250	200	160	4500	13000	11500	4500	2400	

(स्ता. लडा)

[Signature]
उप निबंध
अधीन

[Signature]
उप निबंध
अधीन

[Signature]
उप निबंध
अधीन

(16)

[Signature]
जिलाधिकारी,
वन्मावत।

तहसील पूर्णगिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्ग पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरे
पर्वतीय अर्द्धनगरीय

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि आवासीय/व्यावसायिक की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० में)			आवासीय बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में रू० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रति वर्ग मी० रू० में	
				0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक तक	200 मी० से अधिक	0-5 मीटर तक	50 मी० से अधिक	200 मी० से अधिक		दुकार/रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		प्रथम श्रेणी पक्का
1	अ	जौल	अर्द्ध नगरीय	3740000	3000000	2400000	468	374	300	4500	14000	12000	4500	2400
2	ब	सूखीढांग, श्याला, बमनजौल, काण्डा		3740000	3000000	2400000	468	374	300	4500	14000	12000	4500	2400
3	स	सिलाड		2330000	1870000	1490000	291	233	187	12600	14000	12000	4500	2400

(सहा-तहसील)

[Signature]
मुख्यां कानून/रा.म.

[Signature]
उप निवासी, चम्पावत।

[Signature]
मुख्यां जिलाधिकारी, चम्पावत।

[Signature]
जिलाधिकारी, चम्पावत।

कृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक

1- कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 5 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि-

1. कृषि भूमि 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो आधार मूल्य 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
 2. कृषि भूमि 15 मी० से अधिक 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. कृषि भूमि 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 10 प्रतिशत वृद्धि मूल्यांकन किया जायेगा।
 4. कृषि भूमि 5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 05 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. 05 हैक्टेयर (500 वर्ग मी०) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीकर निर्धारित दरें ही लागू की जायेंगी।

अकृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter)

अकृषि भूमि/सम्पत्ति हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 5 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि-

1. अकृषि भूमि 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. अकृषि भूमि 15 मी० से अधिक हो 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. अकृषि भूमि 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 10 प्रतिशत वृद्धि मूल्यांकन किया जायेगा।
4. अकृषि भूमि 5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 05 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।

परन्तु कृषि या अकृषि भूखण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर के 2 गुने (200 प्रतिशत) होगा।

बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter)

1. बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रतिवर्गमीटर के आधार पर निर्धारित है। सुपर एरिया प्रतिवर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया गया है।
2. बहुमंजिली इमारत के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-
1. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग में स्थित है 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मी० या अधिक हो 18 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित हो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मी० या अधिक हो 15 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित हो 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
4. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में सामान्य पद में आनुपातिक रूप से 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter)

- 1- वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० के आधार पर निर्धारित की जायेगी, सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया गया है।
2. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि-
3. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है, 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
4. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मी० या अधिक हो 18 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।

स. ७८६।)

उपनिर्देशक,
उत्तरांचल प्रदेश

उपनिर्देशक,
उत्तरांचल प्रदेश

उपनिर्देशक,
उत्तरांचल प्रदेश

5. दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मी० या अधिक हो 15 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
6. दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मी० या अधिक हो 12 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 05 प्रतिशत की अनुपातिक रूप से वृद्धि की जायेगी।
3. भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं। तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
4. दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों की हैं। दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अंतरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा। परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों के मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि के प्रभावी दरों से कम नहीं होगी।
1. किसी लिखित या लेखपत्र जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति का अंतरण प्रघटित या सम्भावित हो तथा जिस पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता लेखपत्र में वर्णित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यानुसार हो उस लेखपत्र में सम्पत्ति के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों या विवरण का उल्लेख पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
2. यदि कोई ग्राम/मोहल्ला दर सूची में अंकित होने से रह गया है तो समीपस्थ ग्राम/मोहल्ला की दरें लागू होंगी।
3. अवस्थिति नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
4. गाटा संख्या, क्षेत्रफल (हैक्टे) राजस्व ग्राम व परगना, मोहल्ला एवं वार्ड का नाम।
5. राजस्व ग्राम/मोहल्ला की श्रेणी।
6. चौहदवी।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग जिला मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित होने की दशा में सड़क का नाम और सड़क की चौड़ाई।
8. आबादी/आवासीय गतिविधियों के सम्पत्ति की दूरी मीटर में।
9. अन्तरण के अधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में किया गया विक्रय करने का करार यदि कोई हो तो विवरण।
10. अन्तरण के लिए प्रतिफल।
11. कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति हैक्टेयर एवं न्यूनतम बाजार मूल्य।

(डा० अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या- 3377/पौच-01/2015-16 दिनांक: 16 जून, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, ज० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, आवास/शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, वित्त अनुभाग-9 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चम्पावत।
7. उप महानिरीक्षक, निबन्धन, कलक्ट्रेट परिसर नैनीताल।
8. समस्त तहसीलदार चम्पावत।
9. उप निबन्धक, चम्पावत।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् चम्पावत/टनकपुर, नं.प०. लोहाघाट।
11. अधि०अभि० लो०नि०वि० चम्पावत/लोहाघाट।

(डा० अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।